संख्या- 34 /2022/1468/58-2022-28/2022
संख्या-ए-58-20222023-001-1468-2022

प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उद्यान **लखनऊ::दिनांक 08 जुलाई**, 2022

विषय: अनुदान संख्या-83 के अधीन उद्यान विभाग के अन्तर्गत चालू योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आय-व्ययक में व्यावस्थित धनराशि रू0-11125.37 लाख के सापेक्ष रू0-974.00 लाख (रूपये नौ करोड चौहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-42/बजट/2022-23, दिनांक 23.06.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अधीन उद्यान विभाग के अन्तर्गत चालू योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि रू0-11125.37 लाख के सापेक्ष रू0-974.00 लाख (रूपये नौ करोड चौहत्तर लाख मात्र) वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर रखें जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का लेखाशीर्ष/मानक मदवार विवरण निम्नवत् है:-

अनुदान संख्या-83 (खाद्य प्रसंस्करण शाखा) **(धनराशि लाख रूपये में)**

लेखाशीर्षक/कोड सं0/मद का नाम	**वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान**	**अवमुक्त धनराशि**
2	3	4
2401-फसल कृषि कर्म 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 07-औद्यानिक विकास कार्यक्रम		
27.सब्सिडी	900.00	900.00
42.अन्य व्यय	100.00	74.00
योग-	**1000.00**	**974.00**

(रूपया नौ करोड़ चौहत्तर लाख मात्र)

(1) यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि शासनादेश दिनांक-13.04.2022 द्वारा मानक मद 42-अन्य व्यय में स्वीकृत धनराशि रू0-26.00 लाख (रूपया छब्बीस लाख मात्र) को प्रत्येक लेखाशीर्षक/मानक मदवार को समायोजित कर लिया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उद्यान विभाग के अन्तर्गत व्यवस्थित उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इस आशय का प्रमाण-पत्र निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। जहॉ आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही उपरोक्त मदों में व्यय किया जायेगा।

http://shasa

(3) उद्यान विभाग के अन्तर्गत व्यवस्थित मदों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय किया जाता है तो इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों प्राविधानों के अनुसार नियन्त्रक अधिकारी के नियन्त्रण में किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण यथा वित्तीय नियमों के अनुसार शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग/शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07/06/2022 में दी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार का विचलन अथवा शिथिलता वित्तीय अनियमितता का द्योतक होगा, जिसके लिये निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक/संबंधित मण्डलीय/जनपदीय अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।

(8) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(9) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष क्रय किये जाने वाली सामग्री आदि के क्रय में शासन द्वारा समय-समय पर जारी क्रय नियमों में दी गयी व्यवस्था/प्रक्रिया का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-83 में उपरोक्त तालिका में वर्णित लेखाशीर्ष/मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07/06/2022 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार राय)
उप सचिव।

संख्या-34/2022/1468(1)/58-2022, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज ।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) समाज कल्याण अनुभाग-3/समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार राय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.go